

न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला
जिला बैतूल

दांडिक प्रकरण क :- 444 / 10

संस्थापन दिनांक:-09 / 08 / 10

फाईलिंग नं. 233504000122010

मध्यप्रदेश राज्य
 द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला,
 जिला-बैतूल (म.प्र.)

..... अभियोजन

वि रु द्ध

1. अंगद पिता जियालाल करसले
 उम्र 30 वर्ष, निवासी हसलपुर,
 थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)
2. राकेश पिता गोवर्धन बेले,
 उम्र 20 वर्ष, निवासी ठानी,
 थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....अभियुक्तगण

:- (नि र्ण य) :-

(आज दिनांक 22.06.2017 को घोषित)

1 प्रकरण में अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 341, 323/34, 440 भा0दं0सं0 के अंतर्गत इस आशय के आरोप है कि उन्होंने दिनांक 24.07.2010 को शाम 07:00 बजे हसलपुर से नीमझिरी रोड के बीच हेंडपम्प के पास हसलपुर थाना आमला जिला बैतूल के अंतर्गत फरियादी सुनील माकोड़े की बस का रास्ता अवरुद्ध कर सदोष अवरोध कारित किया एवं फरियादी सुनील की मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया और उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में फरियादी सुनील को स्वेच्छया उपहति कारित की तथा फरियादी को उपहति कारित करने की तैयार के पश्चात बस का कांच, शीशा तोड़कर रिष्टि कारित की।

2 प्रकरण में यह उल्लेखनीय है कि न्यायालय द्वारा फरियादी/आहत सुनील माकोड़े की उपस्थिति हेतु पर्याप्त प्रयास किये जाने के बाद भी साक्षी का पता न चलने के कारण उसकी उपस्थिति न्यायालय में सुनिश्चित नहीं हो पायी है जिस कारण साक्षी को दिनांक 16.06.2017 को साक्षी को अदम पता घोषित किया गया है।

3 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि दिनांक 04.05.2011 को फरियादी अपनी स्वयं की मोटर सायकिल क. एमपी-28-बीए-3724 से सारणी

से राखीकोल जाने के लिए निकला था। सुबह करीब 09:30 बजे जैसे ही वह पंखा के पहले बनवारी ढाबे के पास पहुंचा सामने से एक मोटर सायकिल को उसका चालक बड़ी तेजी एवं लापरवाही से चलाते लाया और उसकी गाड़ी को टक्कर मार दिया जिससे वह तथा टक्कर मारने वाली गाड़ी गिर गयी जिससे उसे बांये पैर की पिंढली पर चोट लगकर खून निकला तथा टक्कर मारने वाली गाड़ी में बैठे दोनों लोगों को भी चोट आयी। उसने टक्कर मारने वाली गाड़ी देखा जो विक्टर क. एमपी-48-एमसी-8988 थी। फरियादी द्वारा दर्ज करायी गयी रिपोर्ट के आधार पर अस्पताल चौकी बैतूल में मोटर सायकिल विक्टर क. एमपी-48-एमसी-8988 के चालक के विरुद्ध अपराध क. 061/11 पंजीबद्ध कर असल कायमी हेतु थाना आमला भेजा गया। थाना आमला में असल अपराध क. 123/11 पंजीबद्ध कर विवेचना की गयी। विवेचना के दौरान मौका नक्शा बनाया गया। साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। आहत का चिकित्सकीय परीक्षण करवाया गया। अभियुक्त से विक्टर मोटर सायकिल क. एमपी-48-एमसी-8988 जप्त कर जप्ती पत्रक बनाया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाया गया। आहत की एक्सरे रिपोर्ट प्राप्त होने पर अभियोग पत्र में धारा 338 भा.दं.सं. का ईजाफा किया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

4 अभियुक्त द्वारा निर्णय की कंडिका क्रं-1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उसका कहना है कि वह निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है।

5 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :-

1. क्या अभियुक्तगण ने फरियादी सुनील माकोड़े की बस का रास्ता अवरुद्ध कर सदोष अवरोध कारित किया ?
2. क्या घटना के समय अभियुक्तगण ने फरियादी के साथ मारपीट करने का सामान्य आशय निर्मित किया ?
3. क्या घटना के समय अभियुक्तगण ने सामान्य आशय की पूर्ति में फरियादी सुनील को स्वेच्छया उपहति कारित की ?
4. क्या अभियुक्तगण द्वारा ऐसा गंभीर व अचानक प्रकोपन से अन्यथा स्वेच्छया किया गया ?
5. क्या अभियुक्तगण ने घटना के समय फरियादी को उपहति कारित करने की तैयार के पश्चात बस का कांच, शीशा तोड़कर

रिष्टि कारित की ?

6. निष्कर्ष एवं दंडादेश, यदि कोई हो तो ?

।। विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ।।

विचारणीय प्रश्न क. 01, 02, 03, 04 एवं 05 का निराकरण

6 उपर्युक्त विचारणीय प्रश्न क. 1 से 5 साक्ष्य के एक ही अनुक्रम से संबंधित होने से साक्ष्य दोहराव से बचने की दृष्टि से पांचों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

7 तुकाराम (अ.सा.-3) एवं प्रकाश बर्डे (अ.सा.-4) ने न्यायालयीन परीक्षण में यह बताया है कि वे अभियुक्तगण को नहीं जानते हैं और न ही उन्हें देखकर पहचान पायेंगे। साक्षीगण ने आगे यह बताया है कि घटना ग्राम हसलपुर से नीमझिरी के बीच हेंडपम्प के पास शाम 7 बजे की थी। घटना दिनांक को वे ताप्ती बस क. एमपी-05-ए-8282 को चलाते हुए मोवाड़ तरफ जा रहे थे। साक्षीगण ने आगे यह बताया है कि हेंडपम्प के पास दो लड़को ने बस को रोक लिया और बिना कुछ बोले बस का कांच तोड़ दिया तथा हेल्पर सुनील के साथ मारपीट भी की थी। साक्षीगण ने यह बताया है कि तोड़फोड़ से लगभग 8,000/- रुपये का नुकसान हुआ था और यह भी बताया है कि वह उन दो लड़को को नहीं पहचानते हैं। उपर्युक्त दोनों साक्षीगण से अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर साक्षीगण ने इस सुझाव को गलत बताया है कि जिन दो लड़को ने हेल्पर सुनील के साथ मारपीट की थी उनका नाम साक्षी अरबिंद एवं सुनील के द्वारा उन्हें बता दिया गया था।

8 घटना के चक्षुदर्शी साक्षी सुनील बेले (अ.सा.-1) एवं अरबिंद बेले (अ.सा.-2) ने यह प्रकट किया है कि वे फरियादी सुनील माकोड़े को नहीं जानते हैं और उनके सामने अभियुक्तगण ने कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया था और न ही ताप्ती बस में तोड़फोड़ की थी परंतु साक्षीगण ने यह प्रकट किया है कि नुकसानी पंचनामा उनके सामने तैयार किया गया था जिस पर उनके हस्ताक्षर हैं। उपर्युक्त दोनों साक्षीगण से अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर साक्षीगण ने यह सही होना बताया है कि घटना दिनांक को वे तथा गांव के अन्य लोग ताप्ती बस में बैठकर खंडवा जा रहे थे परंतु साक्षीगण ने इस सुझाव को गलत बताया है कि अभियुक्तगण जबरदस्ती बस में चढ़ गये थे और जब कंडेक्टर ने मना किया तो उन्होंने बस में तोड़फोड़ कर कंडेक्टर सुनील के साथ मारपीट की थी।

9 डॉ. एन.के. रोहित (अ.सा.-6) ने दिनांक 24.07.2010 को सीएचसी आमला में मेडिकल ऑफिसर के पद पर पदस्थ रहते हुए उक्त दिनांक को

आहत सुनील का परीक्षण किये जाने पर आहत के बांये गाल पर 2 गुणा 1 गुणा 1 सेमी. आकार एवं बांये हाथ की मध्य अंगुली में 2 गुणा 1 सेमी. आकार का फटा हुआ घाव पाया था। साक्षी ने उक्त चोटें कड़े एवं बोथरे हथियार से पहुंचायी जाना प्रकट करते हुए चिकित्सकीय प्रतिवेदन (प्रदर्श पी-7) को प्रमाणित किया है।

10 लक्खू साहू (अ.सा.-5) ने दिनांक 25.07.2010 को थाना आमला में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुए बोड़खी चौकी से अपराध क्र. 022/10 की एफआईआर असल कायमी हेतु प्राप्त होने पर असल अपराध क्र. 194/10 में प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श पी-6) लेखबद्ध किया जाना प्रकट करते हुए उसे प्रमाणित किया है।

11 एस.आर. यादव (अ.सा.-7) ने न्यायालयीन परीक्षण में दिनांक 24.07.2010 को चौकी बोड़खी में सहायक उप निरीक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुए उक्त दिनांक को फरियादी सुनील द्वारा रिपोर्ट लेखबद्ध कराये जाने पर अभियुक्तगण के विरुद्ध अपराध क्र. 022/10 में जीरो पर (प्रदर्श पी-7) की कायमी की थी। साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि उसे अपराध क्र. 194/10 की केस डायरी अग्रिम विवेचना हेतु प्राप्त होने पर उसने दिनांक 25.07.2010 को मौका नक्शा (प्रदर्श पी-8) एवं वाहन क्र. एमपी-05-ए-8282 का नुकसानी पंचनामा (प्रदर्श पी-1) तथा अभियुक्तगण राकेश एवं अंगद को गिरफ्तार कर प्रदर्श पी-9 एवं प्रदर्श पी-10 के गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया था। साक्षी ने उपर्युक्त दस्तावेजों पर अपने हस्ताक्षरों को भी प्रमाणित किया है।

12 बचाव अधिवक्ता का तर्क है कि प्रकरण में किसी भी स्वतंत्र साक्षी ने घटना का समर्थन नहीं किया है तथा अभियोजन यह भी स्थापित नहीं कर पाया है कि घटना अभियुक्तगण के द्वारा कारित की गयी थी। जबकि अभियोजन अधिकारी ने अभियोजन का मामला युक्तियुक्त संदेह से परे स्थापित होने का तर्क प्रकट किया है।

13 बचाव अधिवक्ता के तर्क के परिप्रेक्ष्य में तुकाराम (अ.सा.-3) जो कि ताप्ती बस का ड्रायवर था एवं प्रकाश बर्डे (अ.सा.-4) जो कि ताप्ती बस में कंडेक्टर था, उपर्युक्त दोनों साक्षीगण ने यह बताया है कि वे अभियुक्तगण को नहीं पहचानते हैं। उपर्युक्त साक्षीगण ने अपने कथनों में केवल यह बताया है कि दो लड़को ने ताप्ती बस में तोड़फोड़ की थी और फरियादी सुनील के साथ मारपीट की थी। अभियोजन अधिकारी द्वारा सुझाव दिये जाने पर भी उपर्युक्त साक्षीगण ने इस सुझाव को गलत बताया है कि उन्हें अभियुक्तगण का नाम साक्षी सुनील एवं अरबिंद के द्वारा बता दिया गया था। साक्षी सुनील (अ.सा.-1) एवं अरबिंद (अ.सा.-2) ने यद्यपि अभियुक्तगण को जानने प्रकट किया है परंतु फरियादी सुनील माकोड़े को न जानना प्रकट करते हुए यह बताया है कि

उनके सामने अभियुक्तगण ने न तो मारपीट थी और न ही ताप्ती बस में तोड़फोड़ की थी।

14 तुकाराम (अ.सा.-3) एवं प्रकश बर्डे (अ.सा.-4) ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि घटना के समय वे बस को चला रहे थे और जिन लड़कों ने बस पर पत्थर मारे थे उन लड़कों को वे नाम से भी नहीं जानते हैं और न ही चेहरे से पहचानते हैं।

15 प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श पी-7) के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि फरियादी सुनील माकोड़े रिपोर्ट लेख कराते समय अभियुक्तगण को नहीं पहचानता था एवं उसके द्वारा अभियुक्तगण का नाम इस आधार पर लेख कराया गया है कि उसे सुनील एवं अरबिंद ने यह बताया था कि मौके पर जो दो लड़के लकड़ी लेकर खड़े हैं वे अभियुक्त अंगद एवं राकेश हैं। जबकि साक्षी सुनील एवं अरबिंद ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में फरियादी सुनील माकोड़े को न जानना प्रकट किया है। स्पष्टतः फरियादी सुनील माकोड़े अभियुक्तगण को पूर्व से नहीं जानता था और जिन्होंने अभियुक्तगण की पहचान उसे बतायी उन साक्षियों ने न्यायालय में उसे ही न पहचानना बताया है। इसके अतिरिक्त प्रकरण में साक्षी तुकाराम एवं प्रकश बर्डे ने भी यह बताया है कि उन्हें साक्षी अरबिंद एवं सुनील के द्वारा अभियुक्तगण का नाम नहीं बताया गया था और न ही वे अभियुक्तगण को जानते हैं। इस प्रकार अभियोजन प्रकरण में अभियुक्तगण की पहचान को ही स्थापित नहीं कर पाया है, जिससे अभियोजन कथा में संदेह की स्थिति निर्मित होती है। साथ ही उपलब्ध साक्ष्य से यह भी प्रमाणित नहीं हो रहा है कि घटना दिनांक को अभियुक्तगण ने रास्ते में ताप्ती बस को रोककर तोड़फोड़ की और हेल्पर सुनील माकोड़े के साथ पत्थर एवं लकड़ी से मारपीट की। अतः अभियोजन कथा में उत्पन्न संदेह का लाभ अभियुक्तगण को दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

विचारणीय प्रश्न क. 06 का निराकरण

16 उपर्युक्तानुसार की गयी साक्ष्य विवेचना से अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्तगण ने घटना दिनांक समय व स्थान पर फरियादी सुनील माकोड़े की बस का रास्ता अवरुद्ध कर सदोष अवरोध कारित किया एवं फरियादी सुनील की मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया और उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में फरियादी सुनील को स्वेच्छया उपहति कारित की तथा फरियादी को उपहति कारित करने की तैयार के पश्चात बस का कांच, शीशा तोड़कर रिष्टि कारित की। फलतः अभियुक्तगण अंगद एवं राकेश को भारतीय दंड संहिता की धारा 341, 323/34, 440 भा0दं0सं0 के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

17 अभियुक्तगण के जमानत मुचलके 437-ए दं.प्र.सं. हेतु 6 माह के लिए विस्तारित किये जाते हैं। उसके पश्चात स्वतः निरस्त समझे जावेंगे।

18 अभियुक्तगण द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित ।

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)